

2018/00109

उकल सं: 03/18 दि: 1.5.18

प्रपत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"  
(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

चौहान

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम तारातरा मठ की जमाबन्दी

संवत् 2072-75 खाता संख्या 93 में ख. नं. 242, 243 में

शुद्ध तारातरा मठ के खाता सं. 93 के ख. नं. 242, 243 में  
उमराम S/O कुम्भाराम नाम इन्तज है जो गलत है।

वास्तु उमराम S/O कुम्भाराम नाम शुद्धि का राजस्व  
रेकॉर्ड में अमरुतराम करके। काद्या कडि, राजान कडि  
व आमाशाह कडि में नाम उमराम S/O कुम्भाराम है।


अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

पहचानकर्ता

जाला राठ/कोशराठ प्रार्थी  
(सरपंचकी)

दिनांक : 1/5/18 ड. तारातरा

के. साराम



रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

Sig,

प्रार्थी उमाराम पुत्र कुम्भाराम के आवेदन प्रस्तुत किया कि उसके  
खालेदारी भूमि ग्राम तारातरा मठ के ख.नं. 242 व 243 के गुरुरिपूर्ण नाम उकाराम  
पुत्र कुम्भाराम को उमाराम पुत्र कुम्भाराम अ.द. किया जावे। प्रार्थी के आवेदन के ज्ञांच  
की गई, मज्रम आम में पूछताछ की गई, ज्ञांच में प्रार्थी का सही नाम उमाराम पुत्र  
कुम्भाराम होना पाया गया। प्रार्थी के सहज्यातेदार केसाराम पुत्र सोनाराम व डालूराम पुत्र  
कुम्भाराम ने भी सही होना बताया। तथा प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में उमाराम पुत्र  
कुम्भाराम दर्ज है। अतः ग्राम तारातरा मठ के खाना.सं. 93 में उकाराम पुत्र कुम्भाराम के  
स्थान पर सही नाम उमाराम पुत्र कुम्भाराम किया जाना उचित है।

डा.प्रा.नि.  
(प्रार्थी का गाँव व सहज्यातेदार) कुम्भाराम  
(सहज्यातेदार)

11-05-18  
14/2/2018  
परवर्षी तारातरा मठ.  
रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

पक्षी मूल रिपोर्ट व दस्तावेजों के अनुसार  
नाम सुद्ध किया जाना उचित है।

आदेश

तहसीलदार चौहटन, P. R तारातरा, परवर्षी इल्का तारातरा मठ से प्राप्त  
ज्ञांच रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा शर्चना पत्र के साथ पेश दस्तावेजों पर  
का अध्ययन व अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना  
पत्र सही प्रकार योज्य है। अतः प्रार्थी का शर्चना पत्र न्यायार्थि में स्वीकार कर  
प्रार्थी का नाम उकाराम के स्थान पर कुम्भाराम नाम उमाराम पुत्र कुम्भाराम  
दुस्त काने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन को उपरोक्त अनुसार  
रामब रिकॉर्ड में शामिल दस्तावेज करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली  
के अंतर्गत शुमार हेतु कार्रवाई दखतर हो। उप खण्ड अधिकारी



उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन